

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ ग्राम पंचायत फलातेड तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी 3,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 23 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी डूंगरपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार डामोर ग्राम विकास अधिकारी को 3,000/— रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. डूंगरपुर को परिवादी ने एक लिखित शिकायत की कि परिवादी का टेन्ट हॉउस है। परिवादी ने ग्राम में पंचायत फलातेड में दिनांक 06/05/2026 एवं 07/07/2026 को हुये कार्यक्रम प्रशासन गांव के संग शिविर में ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार डामोर के कहने पर टेन्ट लगाया था। जिसकी बिल राशि क्रमश 06/07/2026 को 4,000/— रुपये एवं 07.07.2026 को लगाये टेन्ट की 10,100/— कुल 14,100 रुपये बिल राशि थी। परिवादी ने बिल पास करने हेतु आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को बिल प्रस्तुत किये लेकिन आरोपी द्वारा बिल पास नहीं करने पर परिवादी आरोपी राजेन्द्र डामोर से पंचायत भवन जाकर मिला जिस पर आरोपी राजेन्द्र डामोर ने बिल पास करने की एवज में 5,000/— रुपये मांगे। जिस पर नियमानुसार मांग सत्यापन कराया गया मांग सत्यापन में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 3,000/— रुपये लेने हेतु सहमत हुआ।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस—प्रथम, डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एसीबी डूंगरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह जैन के नेतृत्व में आज मय टीम ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेन्द्र कुमार डामोर को परिवादी से रिश्वत राशि 3,000/— रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।